वित्तीय बाज़ारों में SRO के लिये ढाँचा

स्रोत: लाइव मिंट

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अनुपालन संस्कृति को सुदृढ़ करने और नीति निर्माण के लिये एक परामर्श मंच प्रदान करने की दिशा में वित्तीय बाज़ारों में स्व-नियामक संगठनों (SRO) की मान्यता हेतु एक ढाँचा/फ्रेमवर्क जारी किया।

- प्रस्तावित SRO उद्योग मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने एवं सदस्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- नए फ्रेमवर्क के तहत SRO **गैर-लाभकारी कंपनियाँ** (**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8** के तहत पंजीकृत) होनी चाहिये जिनकी **न्यूनतम निवल संपत्ति 10 करोड़ रुपए होनी चाहिये**, शेयरधारिता विविध होनी चाहिये, जिसमें कोई भी एकल इकाई **चुकता/प्रदत्त शेयर पूंजी का 10%** या **उससे अधिक हिस्सा नहीं रख सकती।**
- SRO प्रायः सरकारी नियामकों के सहयोग से अपने संबंधित उद्योगों या क्षेत्रों को विनियमित करते हैं।
  - **SRO अपने सदस्यों और नियामक के बीच एक सेतु का कार्य** करेगा। यह नियामक दिशा-निर्देशों के साथ बेहतर अनुपालन, प्रारंभिक चेतावनी संकेतों का विकास, हितधारकों के हितों की सुरक्षा एवं नवाचार को प्रोत्साहन सुनिश्चित करेगा।

और पढ़ें: सर्वव्यापी SRO फ्रेमवर्क

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rbi-issues-framework-for-sros-in-financial-markets